POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 29.03.2025

1.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग व स्टॉक मार्किट के नाम पर ठगी करने वाला 01 शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया।

कार्रवाई का विवरण-- दिनांक 29-03-2025 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादी मुकदमा के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग व स्टॉक मार्किट के नाम पर 97 लाख 40 हजार रूपये की धोखाधडी करने वाला 01 शातिर साइबर अपराधी उत्सव कालरा पुत्र राज कालरा को रोहिणी दिल्ली से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 20.03.2024 को थाना साइबर क्राइम, नोएडा पर लिखित सूचना देकर मु0अ0सं0 15/2024 धारा 419,420, भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना क्रम के अनुसार वादी मुकदमा के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग व स्टॉक मार्किट में निवेश कराने के नाम पर वादी मुकदमा के बैंक खाते से 97,40,000(97 लाख 40 हजार रूपये) की साइबर धोखाधडी की गयी थी। विवेचना के दौरान उक्त अभियोग में धारा 467,468,471,120बी भादवि व 66डी0 आई0टी0 एक्ट की वृद्धि की गयी थी।

उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से अभियुक्त उत्सव कालरा का नाम प्रकाश मे आया। अभियुक्त के द्वारा संदिग्ध बैंक खाते का संचालन कर उस खाते में 84,15,000 रूपये प्राप्त किये गये थे। अभियुक्त, अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी खाते खुलवाकर कमिशन प्राप्त कर आगे दुबई में अन्य अपराधियों को बैंक खाते देने का भी काम करता है, तथा उक्त अपराधी हवाला के कारोबार से भी जुडा होना ज्ञात हुआ है, जिसके सम्बन्ध मे छानबीन की जा रही है। उक्त अपराधी शातिर किस्म का साइबर अपराधी है। जिसके विरूद्ध अन्य थानों पर भी अभियोग पंजीकृत है। इस प्रकरण में 8,04,633 रूपये वादी मुकदमा के वापस कराये जा चुके है। शेष को वापस कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों की तलाश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. उत्सव कालरा पुत्र राज कालरा निवासी द्वारिकाधीश एन्कलेव, प्रथम तल, सेक्टर-26, रोहिणी, थाना के0एन0 काटजू, दिल्ली उम्र 30 वर्ष

अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. एफआईआर 27/2024 धारा 420,120बी, 201 भादवि थाना साइबर क्राइम, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा।
2. मु0अ0सं0 15/2024 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट थाना साइबर क्राइम, नोएडा।

2.थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन स्नैच करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैच किये हुए तीन मोबाइल फोन, चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध हथियार बरामद।

कार्रवाई का विवरण-- दिनांक 29.03.2025 को थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान नोएडा व दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर सवार होकर राह चलते व्यक्तियों से मोबाइल आदि स्नैच करने वाले दो अभियुक्त 1.रितेश उर्फ दांत पुत्र बलराम सिंह 2.अभिषेक उर्फ कालू पुत्र महेश यादव को एफएनजी सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से स्नैच किये हुए तीन मोबाइल फोन, चोरी की मोटरसाइकिल व एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. रितेश उर्फ दांत पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम नीरपुर जनपद समस्तीपुर बिहार वर्तमान पता ग्राम सोरखा, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 19 वर्ष।
2. अभिषेक उर्फ कालू पुत्र महेश यादव निवासी ग्राम सोरखा, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 154/2025 धारा 317(5) बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।

अपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त अभिषेक--

1. मु0अ0सं0-0283/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-0483/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-0279/2022 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-0219/2020 धारा 188, 380, 411, 457 भादवि थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

5. मु0अ0सं0-0414/2022 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0-0420/2019 धारा भादवि थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0-0314/2024 धारा 304(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0-0161/2024 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0-0282/2022 धारा 411/414/482 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0 154/2025 धारा 317(5) बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. स्नैच किये हुए तीन मोबाइल फोन
2. चोरी की मोटरसाइकिल रजि नं0 यूपी 14 ई.एस 6415
3. एक अवैध तमंचा